न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
20/2023	2023/170	21.12.2023	30.05.2024

1. श्री जेतराम पिता हीरा गुर्जर निवासी कारूण्डा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

1. श्री राहुल चन्द्र पिता हरीशचन्द्र जाति रैगर निवासी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री वरदीचन्द्र पिता नारायण जाति तेली निवासी कारूण्डा तहसील छोटीसादडी
3. श्री रामदयाल पिता नारायण जाति तेली निवासी कारूण्डा तहसील छोटीसादडी
:– विपक्षीगण

अपील विरूद्ध निर्णित प्रकरण संख्या 01/23 दिनांक 05.10.2023 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी के क्रम में।

उपस्थिति :–
1. श्री अंकित पालीवाल एवं श्री प्रमोद कुमार तम्बोली (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. श्री रामप्रसाद पाटीदार, श्री कमलेश सुथार एवं श्री अरूण पण्ड्या (अधिवक्ता विपक्षीगण)

–: आदेश :– दिनांक :–30.05.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध निर्णित प्रकरण संख्या 01/23 निर्णय दिनांक 05.10.2023 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कारूण्ड़ा की साबिक आराजी संख्या 57 मीन रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा भूमि रेस्पोडेन्टगण–1 के दादा श्री विरम जी पुत्र गुलाब रेगर निवासी छोटीसादड़ी को जरिये मिशल संख्या 11/1981 दिनांक 08.06.1981 के द्वारा आवंटित की गई थी। किन्तु उक्त भूमियों पर आवंटी का कभी काश्त नहीं रही है।

जिसके वर्तमान खसरा संख्या 261 रकबा 0.39 हैक्टर एवं आराजी संख्या 262 रकबा 0.38 हैक्टर तथा आराजी संख्या 263 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 3 सम्पूर्ण रकबा 1.02 हैक्टर बने है। उक्त भूमियां अपीलार्थी की खातेदारी भूमि की आराजी संख्या 259 रकबा 1.79 हैक्टर भूमि से लगी हुई होकर उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज रहते हुए अपीलार्थी के बाप दादाओं के समय से लगभग 60 वर्षो से सतत् कब्जा काश्त होने पर भी उक्त भूमियां रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के दादा के नाम आवंटित कर दी गई थी।

उक्त भूमियों के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा वर्ष 2022 के दौरान एक पत्थरगढ़ी का दावा प्रस्तुत कर उक्त भूमियों के कब्जे–काश्त एवं सीमाकंन की जानकारी प्राप्त करते हुए आवंटी/खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के अनुसूचित जाति संवर्ग का सदस्य होने के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी RTA 1955 के तहत् प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी मेरिट आधारों को जांचे परखें ही एक तरफा आदेश विरूद्ध अपीलार्थी के जारी करते हुए उक्त भूमियों का कब्जा अन्तरण रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

संख्या–1 को करने हेतु आदेश जारी किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध एक अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 को खारीज कर दिया गया था जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक अपील माननीय संभागीय आयुक्त महोदय बांसवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय से पारीत निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्ट्रर कि जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधिनस्थ से निर्णित पत्रावली तलब की गई जो बाद प्राप्ति शामील पत्रावली है। रेस्पोडेन्टगण की बाद समन तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील मेमों की प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए जवाब अपील को रिकार्ड पत्रावली पर लिया जाकर पत्रावली में बहस अन्तिम उभय पक्ष सूनी गई।

दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए तथा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए मूख्य रूप से कथन किये कि अपील में वर्णित विवादित भूमियां अपीलार्थी की खातेदारी भूमियों से लगी हुई होकर उक्त भूमियों के राजकीय बिलानाम सरकार दर्ज रहते हुए आवंटन पूर्व से अपीलार्थी के बाप दादाओं के समय से कब्जे–काश्त में है तथा कुछ रकबा क्षेत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 द्वारा पशु बाडे के रूप में उपयोग की जा रही है तथा कुछ रकबा मौके पर पड़त होकर रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है। उक्त आवंटित भूमियों के संबंध में तथ्यों एवं मौका स्थिति की जानकारी में लाये बिना किये गये आवंटन के संबंध में अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त होते ही अपीलार्थी द्वारा 14(4) की कार्यवाही सक्षम स्तरों पर प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर कब्जा प्राप्त करना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी में विहित प्रावधानों को संज्ञान में लाये बिना 12 वर्ष से अधिक कब्जे–काश्त को सामान्य प्रक्रिया के आधार पर अन्तरीत करने हेतु आदेश जारी किया गया है जो विधि अनुकुल नहीं होने से स्वतः अपास्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को उक्त भूमि आवंटन एवं कब्जा काश्त की जानकारी पत्थरगढी के आदेश से प्राप्त हुई है। अन्यथा उसे कोई जानकारी नहीं थी जिससे स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पर अपीलार्थी द्वारा जबरन अथवा मौका एवं रिकार्ड के विपरीत कब्जा नहीं किया गया है। जिससे धारा 183 बी के तहत् अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारीत किया जाए।

साथ ही निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकार्ड में दर्ज खातेदार के विपरीत प्रतिकुल कब्जे के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 183 बी के बजाय 183 में सक्षम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहीये था जिससे अपीलार्थी को समुचित तथ्यों के आधार पर दावाकृत भूमि में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता। अतः अपील अपीलार्थी खारीज/अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड़ फरमाई जाकर अपीलार्थी को समूचित पक्ष रखने का अवसर प्रदान हो सकेगा।

इसी प्रकम में उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए तथा प्रस्तुत जवाब के हवाले से अवगत कराते हुए निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी के तहत पारीत निर्णय विधि अनुकुल रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसूचित जाति संवर्ग की भूमि पर अन्य का कब्जा प्रारम्भ से प्रतिकुल श्रेणी का रहा है तथा उक्त भूमियां रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की खातेदारी भूमियां होकर उक्त भूमियों के प्रतिकुल कब्जे को तथ्यांकिंत करने हेतु उसके द्वारा धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पत्थरगढ़ी का दावा कर उसकी खातेदारी में दर्ज भूमियों पर प्रतिकुल कब्जेधारियों की समुचित जानकारी करने का प्रयास किया गया था। जिसके आधार पर धारा 183 बी के तहत् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् निस्तारित करते हुए अवैधानिक कब्जे का अन्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में करने के आदेश दिये गये है। जिसकी पालना कराया जाना न्याय संगत होगा।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

जहां तक उक्त भूमियों के आवंटन के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय में नियम 14(4) के तहत् भी कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी जो माननीय न्यायालय द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 05/2022 निर्णय दिनांक 30.10.2022 को निरस्त हो चुकी है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 60/2023 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 19.04.2024 को खारीज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी मात्र कब्जा अन्तरण की कार्यवाही को रोकने की मानसिकता के साथ विविध स्तरों पर अपीलें प्रस्तुत कर अन्यथा विलम्ब कारीत कर रहा है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के हित प्रभावित हो रहे है।

अपीलार्थी द्वारा बार बार यह कथन किये जा रहे है कि विवादित भूमियों पर अपीलार्थी का 12 वर्षो से भी अधिक पुराना कब्जा है तो इस संबंध में उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अथवा श्रीमान न्यायालय एवं संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे धारा 183 बी के प्रावधान बाधित होते हों। यह सर्वमान्य विधिक व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति संवर्ग के नाम दर्ज खातेदारी भूमियों पर अन्य का कब्जा प्रमाणित होने पर उसे अनिवार्य बेदखली की जाए और इसके लिए सरकार द्वारा अधिकतम 90 दिवस की अवधी निर्धारित की हुई है। जिसकी समुचित पालना का वर्तमान तक अभाव रहा है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाते हुए रिकाडेड खातेदार को कब्जा अन्तरण करावें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 21.11.2023, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार छोटीसादड़ी से पारीत निर्णय दिनांक 05.10.2023, जवाब अपील मेमों दिनांक 09.04.2024, न्यायालय से निर्णित प्रकरण संख्या 05/2022 निर्णय दिनांक 30.10.2024, संभागीय आयुक्त महोदय बांसवाड़ा से पारीत निर्णय दिनांक 19.04.2024, पत्थरगढ़ी रिपोर्ट दिनांक 20.06.2022, रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075–78 राजस्व ग्राम कारूण्ड़ा खाता संख्या 1318, तथा प्रकरण पत्र प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम कारूण्ड़ा की खाता संख्या 1318 में दर्ज खसरा संख्या 261 रकबा 0.39 हैक्टर एवं आराजी संख्या 262 रकबा 0.38 हैक्टर तथा आराजी संख्या 263 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 3 सम्पूर्ण रकबा 1.02 हैक्टर भूमियां वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबदी संवत 2075–78 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 (श्री राहुल चन्द्र पुत्र हरिश चन्द्र जाति रेगर) अनुसूचित जाति संवर्ग सदस्य के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेज एवं न्यायिक निर्णयों इत्यादी से विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी के प्रतिकुल कब्जे का कोई ठोस आधार एवं अवधी का तथ्यात्मक साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र प्रतिकुल कब्जे के आधार पर प्रस्तुत की गई है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 01/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पारीत निर्णय दिनांक 05.10.2023 में कोई विधिक त्रृटि दर्शित रिकार्ड नहीं पाये जाने से अपील अपीलार्थी सिद्ध योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलार्थी सिरे से खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ